छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 73 एवं 575/2008

1. श्री विद्युत कुमार दास, – *अपीलार्थी*
क्वा0 नंबर–3/बी, सड़क–39,
सेक्टर–8, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय जिला कलेक्टर,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 30 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विद्युत कुमार दास द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष क्रमशः दिनांक 01.08.2007 एवं 04.12.2007 को दो आवेदन प्रस्तुत किये थे, किन्तु उक्त आवेदनों पर समयावधि में पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष क्रमशः दिनांक 24.09.2007 एवं 04.01.2008 को प्रथम अपीलें प्रस्तुत की गई, उक्त अपीलों पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी उन्हें वांछित पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष क्रमशः दिनांक 16.01.2008 तथा 20.05.2008 को यह द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई है । चूंकि दोनों अपीलों की विषय–वस्तु लगभग एक समान है तथा दोनों पक्षकार भी एक ही है और तर्क भी लगभग एक जैसे प्रस्तुत किये गये है, अतः दोनों अपीलों में एक ही आदेश पारित किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में दोनों अपीलों की विषय–वस्तु अपीलार्थी के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है, जो दिनांक 08.05.1986 को श्री एच0पी0 किन्डो, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग द्वारा जारी किया गया है। इस संबंध में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी नहीं दी गई है तथा आवेदक भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में सेवारत है और उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी मानकर जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध वे मा0 उच्च न्यायालय में गये थे और मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 7573/07 में यह निर्देश दिये गये थे कि फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जॉच के लिए जो शासन द्वारा छानबीन समिति गठित की गई है, उसके समक्ष यह प्रकरण रखा जावे और अपीलार्थी को सुनवाई का मौका देते हुए उस पर निर्णय लिया जावे। अपीलार्थी द्वारा उस समिति के समक्ष अपना प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उनको जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ जानकारी चाही है, किन्तु जिला कार्यालय द्वारा आयोग के निर्देश के बाद ढूंढ़ने का प्रयास किया गया, किन्तु अंत में यह उत्तर दिया गया कि उससे संबंधित दस्तावेज कार्यालय के रिकार्ड में कोई इंद्राज पाना नहीं पाया गया और जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तथा उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के तीन वर्ष के पश्चात् रिकार्ड नष्ट करने का प्रावधान है और प्रकरण बीस वर्ष से अधिक हो चुका है। इस संबंध में जन सूचना अधिकारी ने जो उत्तर प्रस्तुत किया है वह विरोधाभाष प्रतीत होता है, क्योंकि अपीलार्थी ने एक पत्र यह प्रस्तुत

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

किया है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय से ही सूचित किया गया कि काउंटर शाखा द्वारा यह रिकार्ड अभिलेखाकार में जमा किया गया है, अतः इस आधार पर यह कहना कि उक्त नस्ती या उससे संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है, यह उचित नहीं है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के मानवाधिकार से संबंधित विषय है । अतः इस संबंध में पूरी खोजबीन करके निश्चित जानकारी दिया जाना आवश्यक है, ताकि राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष अपीलार्थी अपना पक्ष अच्छी तरह से रख सकें । अतः इस संबंध में कलेक्टर, दुर्ग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि सभी संबंधित रिकार्ड से और पंजियों से इसकी क्रास चेकिंग की जावे तथा जारी करने वाले अधिकारी श्री एच0पी0 किन्डो तथा उस समय के अन्य लिपिक जो मौजूद हो, उनका भी बयान लिया जावे और उससे संबंधित रिकार्ड यदि राजस्व अभिलेखाकार में जमा किये गये है तो उसे भी देखा जावे और यदि रिकार्ड का विनिष्टिकरण किया गया है तो उसकी सूची होनी चाहिए, उसकी भी जॉच की जावे और तत्पश्चात् यदि रिकार्ड मिल जाता है तो अपीलार्थी को वह रिकार्ड 30 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान किया जावे । यदि संबंधित रिकार्ड नहीं मिलता है तो उसके गुम होने की स्थिति में उसे निश्चित उत्तर दिया जावे तथा गुम होने के बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जावे । साथ ही रिकार्ड गुम होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए धारा–20(2) के अन्तर्गत कलेक्टर, दुर्ग को अनुशंसा भी की जाती है । अपीलार्थी के जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है और छानबीन समिति के समक्ष भी कलेक्टर को पूरी जानकारी भेजना होगी, उसी के आधार पर अंतिम निर्णय इस संबंध में लिया जा सकेगा, अतः पूरी जिम्मेदारी के साथ इस संबंध में जॉच पूर्ण की जाकर अंतिम प्रतिवेदन से आयोग को भी अवगत कराया जावे । चूंकि इन प्रकरण में विलंब के लिए किसी की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है, अतः शास्ति की कार्यवाही किया जाना तो आवश्यक नहीं है किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये प्रति प्रकरण के मान से कुल राशि 600/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपीलें स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com